प्रेस नोटः- कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत हुए बबली हत्याकाण्ड का अनावरण, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम गिरफ्तार।

दिनांक 10.09.2021 को बबली (24 वर्ष) पुत्री ऋषिपाल निवासी सर्वोद्दय कालोनी निकट रेलवे स्टेशन जनपद बिजनौर का शव जी0जी0आई0सी0 स्कूल से वापस आते हुये अपराह्न में रेलवे स्टेशन के पास लगे स्लीपरों के ऊंचे-ऊंचे चट्टों के बीचो-बीच मिला था। घटना की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, जीआरपी नजीबाबाद, डॉग स्कवाड, फिल्ड यूनिट एवं स्वाट/सर्विलांस सैल एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन किया गया। घटना के सम्बन्ध में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर थाना जीआरपी नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 08/21 धारा 302/201/376 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

जीआरपी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुये मृतका बबली के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमार्टम की सम्पूर्ण कार्यवाही फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टरो के पैनल, जिसमें महिला चिकित्सक भी मौजूद थी, करायी गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नही हुयी। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार अभियोग की विवेचना जीआरपी नजीबाबाद से स्थानीय पुलिस को दिनांक 10.09.2021 को ही सुपुर्द की गयी। मेरे द्वारा उक्त विवेचना डॉ0 प्रवीन रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, श्री कुलदीप कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में श्री राधेश्याम, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर के सुपुर्द की गयी।

श्री शलभ माथुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज, मुरादाबाद द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर से विशेष टीमों का गठन करने व प्रत्येक बिन्दु पर गहनता से जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को आदमपुर गांव से थोडा पहले बाईपास रोड पर आज दिनांक 14.09.2021 को समय 02.25 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

शहजाद उर्फ खादिम पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं बिजनौर रेलवे स्टेशन पर पल्लेदारी का काम करता हूं तथा स्टेशन पर आने वाली माल गाडियों से माल को उतारता व चढ़वाता हूं। मैं गांजा व चरस का सूखा नशा करता हूं तथा शराब भी पी लेता हूं। दिनांक 10/09/2021 को भी मैं बिजनौर रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिये गया था लेकिन उस दिन स्टेशन पर कोई काम नही था तो मैं वही स्टेशन के पास लगे स्लीपरों पर जाकर बैठ गया तथा मैने वहां गांजे का नशा भी किया था। एक लडकी वहां से अकसर आया जाया करती थी उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो जाती थी। दिनांक 10-09- 2021 को भी मैने उसे समय करीब 12-00 बजे वहां से जाते हुए देखा था। उसे देखकर मेरी नीयत फिर से खराब हो गयी थी और मैं उसके वापस आने का इन्तजार करता रहा। समय करीब दो बजे वह लडकी वापस अपने घर की ओर आ रही थी तो उसे देखकर मैं वहीं पर स्लीपरों में उतरकर खडा हो गया था। जब वह मेरे पास आयी तो मैने उसे स्लीपरों में बनी खाली जगह पर तत्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण खींच लिया। उस समय वह लडकी फोन

पर बात कर रही थी। जब मैने उसे खींचा तो वह चिल्लाई तो मैने वहीं पास में पडी एक रस्सी उठाकर उसके गले में डाल दी और उसका गला चुन्नी व रस्सी से कस दिया तथा स्लीपरों के बीच में पडी खाली जगह में खींच लिया। उसने काफी विरोध किया जिससे मेरे चेहरे, गर्दन व सीने पर खरोंच के निशान आ गये थे। स्लीपर के बीच में तंग जगह होने के कारण उनमें लगकर मेरे शरीर में ओर भी कई जगह गुम चोटें आयी थीं। मैं उस समय गांजे के काफी नशे में था इसलिये मैं रस्सी खीचता गया और वह विरोध करती रही और इसी खीचतान में उसके हाथ पैर लटक गये और वह बेहोश सी हो गयी। तभी कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी तथा मुझे घबराहट हुई, जिससे मै व्यभिचारिक कार्य नही कर पाया। मृतका का मोबाईल चालू था, इसलिये मै उसका मोबाइल व रस्सी लेकर भाग गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी जाँच में अभियुक्त द्वारा घटना के दौरान पहनी शर्ट को अभियुक्त की निशादेही पर उसके घर से बरामद किया गया तथा शर्ट के दो बटन टूटे हुये थे जो घटना स्थल पर मिले। घटना के दौरान अभियुक्त के पैर से एक चप्पल घटनास्थल पर छूट गयी थी तथा दूसरी चप्पल व मृतका का गला घोंटने में प्रयुक्त रस्सी को अभियुक्त की निशादेही पर रेलवे लाईन के पास घास से बरामद करायी गयी। लडकी के मोबाईल फोन की लोकेशन अभियुक्त के घर के कमरे के सामने मिलना व मोबाइल का स्विच ऑफ होना पाया गया। अभियुक्त द्वारा मृतका बबली के साथ दुष्कर्म के प्रयास के सम्बन्ध में अभियोग में धारा 511 भादवि की बढोत्तरी की गयी। मोबाईल बरामदगी हेतु अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जायेगा।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलनः-

1.अभियुक्त की घटनास्थल पर एक चप्पल छूट जाना व उसकी दूसरी चप्पल अभियुक्त द्वारा बरामद कराना, दोनो चप्पल का आपस में मिलान।

2.घटना के दौरान अभियुक्त के साथ मृतका द्वारा अपने बचाव में की गयी हाथापाई के दौरान अभियुक्त के चेहरे,गर्दन तथा सीने पर आये संघर्ष/स्ट्रगल मार्क के निशान।

3.घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा पहनी गयी शर्ट पर खून के धब्बे मिलना जोकि अभियुक्त द्वारा अपने घर से बरामद करायी गयी।

4.अभियुक्त के घर से बरामद शर्ट में दो बटन का न होना, शर्ट के दोनो बटन घटनास्थल पर बरामद होना जिनका शर्ट के बाकी बटनों से मिलान होना।

5.मृतका के मोबाइल की सेल आईडी की लोकेशन अभियुक्त के कमरे के सामने अन्तिम बार मिलना और उसके बाद मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना।

6.भौतिक/इलैक्ट्रानिक एवं परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की घटना के दौरान मौके पर उपस्थिति।

7.अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति एंव लगभग डेढ़ कि0मी0 दूर स्थित आवास पर उपस्थिति के साक्ष्य एवं घटनाक्रम का सामंजस्य का होना।

आपराधिक इतिहास शहजाद उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 01/19 धारा 03 आर0पी0 (UP) अधिनियम चौकी रेलवे सुरक्षा बल बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 02/19 धारा 03 आर0पी0 (UP) अधिनियम चौकी रेलवे सुरक्षा बल बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 03/19 धारा 03 आर0पी0 (UP) अधिनियम चौकी रेलवे सुरक्षा बल बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 630/21 धारा 302/201/376/511 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

थाना कोतवाली शहर टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम, व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार, उ0नि0 दीपक कुमार, उ0नि0 योगेश कुमार, का0 शक्ति, का0 हरेन्द्र, का0 शिवकुमार

<u>स्वाट/सर्विलांस टीमः-</u> निरीक्षक श्री नरेश कुमार, उ0नि0 श्री जर्रार हुसैन मय टीम

<u>टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशिः- 25,000/- रु</u>

<u>प्रेस नोट - थाना नगीना देहात</u>

<u>थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा बिजली तार चोर गैंग का पर्दाफाश, 04 शातिर चोर विद्युत लाईन के तारों के 09 बन्डल, तार काटने के उपकरण (कटर आदि), घटना में प्रयुक्त टाटा स्पेशियो गाडी नं UK07AA0763 तथा अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार।</u>

दिनांक 13.09.2021 को वादी श्री नेमचन्द, अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र रायपुर सादात द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि 33के0वी0 विद्युत लाईन जोकि नजीबाबाद स्थित 132 के0वी0 उपकेन्द्र से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बढापुर की तरफ जा रही है। उक्त लाईन पर जोगीरम्पुरी ईंट भट्टा से रायपुर की तरफ दोनो खम्भों के बीच से लगभग 210 मीटर तार चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 256/2021 धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

मेरे द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु थाना नगीना देहात पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगीना के निर्देशन में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 13.09.2021 की रात्रि समय 22.30 बजे चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1- सोनू पुत्र महेन्द्र 2- परवेज पुत्र मुख्तयार अहमद 3- तसलीम उर्फ मुन्ने पुत्र रफीक अहमद को जोगीरम्पुरी ईंट भटटे पास से रायपुर की ओर वहद जंगल ग्राम चमरू नवादा से 05 बन्डल विद्युत तारो के, तार काटने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त गाडी व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया। इनका एक अन्य साथी सलाऊदीन पुत्र इदरीश निवासी ग्राम हर्षवाडा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर प्रयास जारी है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 257/2021 धारा 379/411/413 भादवि बनाम 1.तसलीम उर्फ मुन्ने 2.परवेज पुत्र मुख्तयार 3.सोनू पुत्र महेन्द्र

उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 258/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 बनाम परवेज उपरोक्त व मु0अ0सं0 259/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत किये गये।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के विद्युत तार चोर है, जो गिरोह बनाकर चोरी करते है। इनके विरुद्ध जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर, हल्दौर, हीमपुरदीपा, किरतपुर, नहटौर, नगीना देहात, धामपुर, मंडावली पर तार चोरी से सम्बन्धित दर्जनों अभियोग पंजीकृत है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> अभि0गण द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम चारों साथी मिलकर जगह-जगह से बिजली के तार चोरी करते है तथा चोरी के तारो को टाटा स्पेशियो न0 UK07AA0763 गाडी में भरकर ज्यादातर माल माजिद उर्फ भूरा पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 नई बस्ती पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को व नजीबाबाद के आस पास के कबाडियो को सस्ते दामो में बेच देते है। हम चारो लोगो ने दो तीन दिन पहले जहां से आप लोगो ने पकडा है यही से ही बिजली के तार काटकर चोरी कर माजिद उर्फ भूरा को ले जाकर बेच दिये थे तथा दिनांक 05.09.2021 की रात्रि में नहटौर क्षेत्र के ग्राम फैजपुर के जंगल से हम चारो लोगो ने बिजली के तार चोरी किये थे, जिन्हे इसी गाडी टाटा स्पेशियो से लादकर लाये थे। दिनांक 07.08.2021 को मैंने (सोनू) व मेरे साथी तस्लीम व परवेज ने थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम माडकपुर के जंगल सिंधुफार्म के पास बिजली के तार काटकर चोरी किये थे उन्हे भी माजिद उर्फ भूरे को हमने बेच दिया था। हम तीनो ने 02.09.2021 को थाना हल्दौर क्षेत्रान्तर्गत बल्दिया नहर व झालू स्टेशन के बीच से बिजली के तार काटकर चोरी किये थे।

अभियुक्तगण की निशादेही पर आज दिनांक 14.09.2021 को पूर्व में चोरी किये गये 05 बण्डल बिजली के तार माजिद उपरोक्त से बरामद कर माजिद को गिरफ्तार किया गया।

नोटः- थाना नहटौर की तार चोरी के सम्बन्ध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 253/21 पंजीकृत है। थाना हल्दौर की तार चोरी के सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 283/21 पंजीकृत है। तार चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 533/21 पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-</u>

1. सोनू पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जिला बिजनौर हाल निवासी हिमालयन कालोनी ग्राम पंचायत शेखपुर गढ़ू आदर्शनगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर।
2.परवेज पुत्र मुख्तयार अहमद नि0 मौ0 काजीयान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर।
3. तसलीम उर्फ मुन्ने पुत्र रफीक अहमद नि0 मौ0 गुलजार नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद बिजनौर।
4.माजिद उर्फ भूरा पुत्र अय्यूब नि0मौ0 नई बस्ती पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी का विवरणः –</u>

1. बिजली के तार 09 बण्डल
2. 01 तमन्चे 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस
3. 01 नाजायज चाकू
4. तार काटने के उपकरण (कटर व प्लास)
5. एक इलेक्ट्रिक टार्च
6. गाडी टाटा स्पेसियो रंग सफेद रजि0 नं0 UK07AA0763

<u>आपराधिक इतिहासः-</u> सोनू पुत्र महेन्द्र उपरोक्त

1. मु0अ0सं0-228/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 420 भा0द0वि0 थाना हल्दौर, बिजनौर

2. मु0अ0सं0-222/16 धारा 307 भा0द0वि0 हीमपुर दीपा, बिजनौर
3. मु0अ0सं0-213/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर
4. मु0अ0सं0-302/16 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर
5. मु0अ0सं0-254/16 धारा 307/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना किरतपुर, बिजनौर
6. मु0अ0सं0-255/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना किरतपुर, बिजनौर
7. मु0अ0सं0-296/16 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना किरतपुर, बिजनौर
8. मु0अ0सं0-933/17 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 272/273/34/420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली शहर, बिजनौर
9. मु0अ0सं0-214/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शहर, बिजनौर
10. मु0अ0सं0-506/18 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना कोतवाली शहर, बिजनौर
11. मु0अ0सं0-01/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना धामपुर, बिजनौर
12. मु0अ0सं0-629/18 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद, बिजनौर
13. मु0अ0सं0-740/18 धारा 413/414भा0द0वि0 थाना नजीबाबाद , बिजनौर
14. मु0अ0सं0-61/20 धारा 10/41 सी0आर0पी0सी0 411/413/414भा0द0वि0 थाना नहटौर , बिजनौर
15. मु0अ0सं0-678/18 धारा 379 भा0द0वि0 थाना नहटौर , बिजनौर
16. मु0अ0सं0 253/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नहटौर
17. मु0अ0सं0 533/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शहर
18. मु0अ0सं0 283/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना हल्दौर
19. मु0अ0सं0 256/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नगीना देहात
20. मु0अ0सं0 257/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना नगीना देहात
21. मु0अ0सं0 258/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात

❖ **आपराधिक इतिहास परवेज पुत्र मुख्तयार अहमद उपरोक्त।**

1. मु0अ0सं0 253/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नहटौर
2. मु0अ0सं0 533/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शहर
3. मु0अ0सं0 283/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना हल्दौर
4. मु0अ0सं0 256/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नगीना देहात
5. मु0अ0सं0 257/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना नगीना देहात
6. मु0अ0सं0 258 / 21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात

❖ **आपराधिक इतिहास तसलीम उर्फ मुन्ने उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 253/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नहटौर
2. मु0अ0सं0 533/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शहर
3. मु0अ0सं0 283/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना हल्दौर
4. मु0अ0सं0 256/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नगीना देहात
5. मु0अ0सं0 257/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना नगीना देहात

❖ **आपराधिक इतिहास अभियुक्त माजिद उर्फ भूरा पुत्र अय्यूब उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 221/2020 धारा-379 भा0द0वि0 थाना नजीबाबाद

2. मु0अ0सं0 264/2020 धारा-379 भा0द0वि0 थाना नजीबाबाद
3. मु0अ0सं0 176/2018 धारा-136 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना मंडावली
4. मु0अ0सं0 253/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नहटौर
5. मु0अ0सं0 533/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शहर
6. मु0अ0सं0 283/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना हल्दौर
7. मु0अ0सं0 256/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नगीना देहात
8. मु0अ0सं0 257/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना नगीना देहात

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः – 1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह 2.कां0 760 वरूण 3.कां0 740 विपिन मान 4.कां0 241सुमित कुमार 5.कां0 211 अमित कुमार 6.कां0 1384अमित कुमार 7.का0 2073 सन्नी कुमार 8.कां0 चालक प्रवीण कुमार

थाना स्योहारा:– आज दिनांक 14.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त 1–महेश पुत्र भगवाना 2– भगवाना पुत्र हरिवंश निवासीगण टांडा बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 502/21 धारा 498/323/304बी भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना चांदपुर:– आज दिनांक 14.09.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1–नीटू पुत्र नेपाल 2– नेपाल पुत्र रामकुमार निवासीगण ग्राम अहरौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नगीनाः– आज दिनांक 14.09.2021 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त शोभित पुत्र अरविन्द कुमार निवासी मौहल्ला ठाकुरान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 338/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हीमपुरदीपाः– आज दिनांक 14.09.2021 को थाना हीमपुरदीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त हासिम उर्फ राजू पुत्र रियासत निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 119/21 धारा 420/376/313/504/354/500/323 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस–03

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा जी0जी0आई0सी0 इण्टर कॉलेज मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा समग्र प्राथमिक विधालय मे बालिकाओं/ छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा ग्राम अजुपुरा मे महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना नांगल पुलिस द्वारा प्राइमरी स्कूल–2 तिसोतरा मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना धामपुर पुलिस द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज सरकडा मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना नूरपुर पुलिस ग्राम आजमपुर मे महिलाओ/ बालिकाओं/ छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।